

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
अधिसूचना

03 फरवरी, 2026 ई0

संख्या—75 / XVII-B-1/2026-07(01)2025—श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18, 2025) की धारा 06 की उपधारा (1) से उपधारा (4) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में निम्नानुसार महानुभावों को नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

क्र०सं०	नाम/पता	पदनाम
1	प्रोफेसर (से०) सुरजीत सिंह गांधी, बीएसएम पीजी कॉलेज, रुड़की।	अध्यक्ष
2.	1. प्रोफेसर (डॉ०) राकेश कुमार जैन, गुरुकुल कांगड़ी वि०वि० हरिद्वार। 2. डॉ० सैय्यद अली हमीद, रि० प्रोफेसर कुमायूँ वि०वि० अल्मोड़ा। 3. प्रोफेसर पेमा तेनजिन, ग्राम—बांगतोलो, ग्वालदम, जिला चमोली। 4. प्रोफेसर श्री गुरमीत सिंह, के०जी०के० (पी०जी०) कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद। 5. डॉ० एल्बा मन्ड्रेले, सहायक प्राध्यापक, स्व० चंद्र सिंह शाही, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपकोट, बागेश्वर, उत्तराखण्ड। 6. प्रोफेसर, रोबिना अमन, विभागाध्यक्ष एवं संयोजक रसायन विज्ञान, सोबन सिंह जीना, विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा। 7. श्री चन्द्रशेखर भट्ट, सेवानिवृत्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन। 8. श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, हिमालय ग्राम विकास समिति, गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)।	सदस्य
3.	9. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड। 10. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड।	पदेन सदस्य
4.	11. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड।	पदेन सदस्य सचिव

2— श्री राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त पदाधिकारियों की पदावधि पदभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष होगी।

आज्ञा से,
डॉ० पराग मधुकर धकाते,
विशेष सचिव।

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 14-02-2026, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 02 अ०क०अनु०/76-06-03-2026-50 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)